संख्या– 1154 /43–2–08–15/2(3)/07 टी0सी0–II

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में– शासन स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र संख्या– 556/43–2–2008–15/2(3)/2007 टी0सी0 दिनांक 6 जून, 2008 तथा प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या–859/43–2–08–15/2(3)/2007 टी0सी0II दिनांक 01 जुलाई, 2008 तथा 898/43–2–08–15/2(3)/07, दिनांक 15 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त पत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशन व वेबसाइट पर अपलोड कर प्रत्येक विभाग व उनके अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक स्थिति की संकलित सूचना की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु अभी तक उक्त सूचना पूर्ण रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियाँ उल्लिखित हैं–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य
(ii) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान
(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

(vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं

(vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,

(viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं

(ix) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(xii) सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

3– पूर्व में जिन विभागों की उक्त सूचनाएं एन0आई0सी0 द्वारा "भारत सरकार की सूचना का अधिकार से सम्बन्धित वेबसाइट (RTI-Portal:-http://rti.gov.in)" पर अपलोड की गयी थी वह अब इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। भारत

सरकार द्वारा अब RTI-Portal को सीधे राज्य सरकार की वेबसाइट (http://upgov.nic.in) से लिंक कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर वही सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो विभाग द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं। इसी विभागीय वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों का विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर अपलोड किया जाना है तथा उक्त सूचनाओं को अद्यावधिक भी किया जाना है।

4— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक आवश्यकता है।

5— प्रत्येक "लोक प्राधिकरण (Public Authority)" से यह भी अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि यह लोगों तक आसानी से पहुँच जाये। ऐसा सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक अधिनियम की धारा-4(1)(b) के अन्तर्गत अपने विभाग की सूचनाओं का प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि सूचना पूर्णरूपेण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।